(7)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 55 / 2020 दायरा दिनांक 19.10.2020

GCMS CASE NO-2020/00055

राकेश कुमार पुत्र श्री रूपराम जाति जाट साकिन राजपुरा पीपेरन तहसील सूरतगढ

अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार सूरतगढ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री सुरेन्द्र सुथार अधिवक्ता अपीलांट

2. राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व सूरतगढ रेस्पोडेंट

–:: निर्णय ::– दिनांक :25.10.2024

यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ के प्रकरण संख्या 10 / 2019 ब अनवान सरकार बनाम राकेश कुमार में पारित निर्णय दिनांक 18.02.2019 जिसके द्वारा अपीलांट को चक 4 पीपीएन के प.न. 133 / 42 में 3.719 है0 भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि चक 4 पीपीएन के प.न. 133 / 42 के कि.न. 1ता 25 की 6.198 है0 भूमि पर अपीलांट का पुराना कब्जा काश्त है। जिसकी कब्जा काश्त की नियमन की पत्रावली माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ में जैरकार है। अपीलांट राजस्थान का मूल निवासी है व सदभावी काश्तकार है मुख्य पेशा कृषि है। अपीलांट उक्त रकबे को नियमानुसार आवंटन करवाने का पात्र है। जिसकी अनदेखी करते हुए भी मातहत अदालत द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। मातहत न्यायालय ने प्रार्थी के रकबा को अराजीराज मानकर अतिकमी घोषित किया गया है। जो प्रथम दृष्टया मामला निरस्ती योग्य है। अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी हुई। आदेश की जानकारी हुई बिना किसी देरी के यह अपील पेश की गई। प्रार्थी अनपढ काश्तकार है व कानूनी पेचिदगियों का ज्ञान नही है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जावे तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

राजपैरोकार ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा जानबूझकर अपील पेश करने में देरी की गई है अपीलांट को निर्णय की पूर्ण जानकारी थी, आदेश पारित करने से पूर्व नोटिस जारी किए गए थे जो विधिवत रूप से अपीलांट को तामील हो चुका था अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जावे।

प्रार्थना पत्र उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपीलांट ने प्रार्थना में देरी के लिए जो कथन अंकित किये है, वह संतोषप्रद है। इसलिए प्रकरण का निस्तारण तकनीकी विन्दुओ पर ना करते हुए गुणावगुण पर करना हम उचित समझते है। अतः अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात गुणावगुण के आधार पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि चक 4 पीपीएन के प.न. 133 / 42 के कि.न. 1ता25 की 6.198 है0 भूमि पर अपीलांट का सम्वत 2014 से कब्जा काश्त है।जिसकी नियमन की पत्रावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Sonagara
Date: 2024.10.28 12:38:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष जैरकार है।अपीलांट सदभावी काश्तकार है व मुख्य पेशा कृषि है। मातहत अदालत द्वारा अराजीराज रकबा दर्शाते हुए अपीलांट को चक 4 पीपीएन के प.न. 133/42 की 3.719 है0 भूमि के पीठ पीछे कब्जा दिखाकर अपीलांट को बिना कोई नोटिस दिये व बिना नोटिस के तामील के एक तरफा कार्यवाही करके प.न. 133/42 की 3.719 है0 भूमि नाजायज कब्जा दिखाकर अपीलांट को अवैध अतिक्रमण मानते हुए खडी फसल निलाम करने के आदेश दे दिये है। अदालत मातहत ने नैसंर्गिक न्याय व निर्धारित प्रकिया की पालना नही की है। फसलकुन्ता (Assesment) नीलामी, 50 गुणातावान व बेदखली तीनों आदेश एक साथ देकर गैर कानूनी आदेश पारित किया है। अपीलांट को पहले कभी बेदखल नही किया गया । ऐसे मे उन्हे पाश्चावर्ती अतिक्रमी मानकर भी भूल की है। तीनों दण्ड एक साथ कानूनन नही दिये जा सकते। राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 4(16) कोलो/99 दिनांक 26.11.2004 राजस्थान उपनिवेशन (आईजीएनपी आवंटन एवं विकय) नियम 1975 में नियम 21 ए प्रतिस्थापित कर प्रावधान किया कि अगर कोई व्यक्ति राजकीय भूमि पर दिनांक 1.1.1996 से पूर्व लगातार 5 वर्षो से काबिज है तो उसे उस भूमि से बेदखल न कर भूमि पर काबिज रहने दिया जावे। तत्पश्चात राज्य सरकार ने अधिसूचना स0 एफ 4 (16) कोलो/99 जी.एस0आर 89 दिनांक 11.01.2008 द्वारा प्रावधान किया कि अगर कोई व्यक्ति राजकीय भूमि पर दिनांक 1.1.2000 से 5 वर्षो तक अनाधिकृत रूप से काबिज है तो उसे बेदखल ना किया जावे तथा इन नियमों में यह भी प्रावधान है कि दिनांक 1.1. 2000 से 7 वर्षो में से किन्ही 5 वर्षो तक भी कब्जा है तो उस व्यक्ति को डीएलसी दरों पर आवंटन कर दिया जावे। उसे बेदखल ना किया जावे व आवंटन नियम 1975 के उपनियम 21–ए में डीएलसी से पूर्ण राशि जमा करवाकर अतिक्रमी को आवंटन करने का प्रावधान है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

पैरोकार राज ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट राकेश कुमार द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर नाजायज काश्त की गई है। अपीलांट द्वारा अपने पक्ष में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य/सबूत पेश नही किया जिससे जैर प्रकरण भूमि पर उसका हक/हकूक साबित हो सके अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं होने के कारण ही जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। की गई समस्त कार्यवाही नियमानुसार है। अपीलांट अतिक्रमी साबित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर निर्णय दिनांक 18.02.2019 यथावत रखा जावे।

उभय पक्ष की बहस पर गनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजता का गहनता से अवलोकन किया गया । जिससे यह स्पष्ट है कि अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी से प्राप्त होने पर अपीलांट को नोटिस अन्तर्गत धारा 22 विधिवत रूप से जारी किया गया व अपीलांट को विधिवत रूप से तामील हुआ है। नोटिस में अपीलांटस को अवसर दिया गया कि वें अतिक्रमित भूमि खाली कर देवें। बाद नोटिस तामील होने के उपरांत भी अतिक्रमी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण नहीं हटाया। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम 1954 संक्षिप्त विचारण प्रकिया है। तहसीलदार सूरतगढ द्वारा पारित आदेश नैसर्गिक न्याय सिद्धांतो व स्थापित विधि के किसी प्रावधान के उल्लंघन में न होने से आदेश मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप इस न्यायालय द्वारा किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अपील सारहीन होने से अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति पत्रावली में शामिल की जावें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली गिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22 .10.2024 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.10.28 12:38:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner